रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092026-276372
CG-DL-E-21092026-276372

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948
No. 264] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

दिशानिर्देश

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2026

फा. सं. एम-11021/20/2026-डीओ (एफसी).— *चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 836(अ), दिनांक 6 दिसंबर, 1991 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने से छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करते समय, फिल्म प्रमाणन बोर्ड निम्नलिखित सिद्धांतों से निर्देशित होगा, अर्थात्:-*

1. फिल्म प्रमाणन के उद्देश्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि—

(क) फिल्म का माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे;

(ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मक स्वतंत्रता पर अनुचित रूप से अंकुश न लगाया जाए;

(ग) प्रमाणन सामाजिक परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील हो;

(घ) फिल्म का माध्यम अच्छा एवं बेहतर मनोरंजन प्रदान करे; और

(ङ) जहां तक संभव हो, फिल्म सौंदर्यपरक मूल्य की हो और सिनेमाई दृष्टि से अच्छे स्तर की हो।

2. पैरा 1 में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसरण में, फिल्म प्रमाणन बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि—

(क) हिंसा जैसी समाज-विरोधी गतिविधियों का महिमामंडन या उन्हें सही न ठहराया जाए;

(ख) अपराधियों की कार्यप्रणाली, ऐसे अन्य दृश्य या शब्द, जिनसे किसी अपराध के किए जाने के लिए उकसाए जाने की संभावना हो, प्रदर्शित न किए जाएं;

(ग) ऐसे दृश्य—

(i) जिनमें बच्चों को हिंसा के पीड़ितों या हिंसा करने वालों के रूप में अथवा हिंसा के लिए विवश साक्षियों के रूप में दिखाया गया हो, या बच्चों को किसी भी प्रकार के बाल दुर्व्यवहार का शिकार होते हुए दिखाया गया हो;

(ii) शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार या उनका उपहास करते हुए दिखाने वाले दृश्य; और

(iii) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनके साथ दुर्व्यवहार को अनावश्यक रूप से दिखाने वाले दृश्य प्रस्तुत न किए जाएं।

(घ) हिंसा, क्रूरता और भयावहता के निरर्थक या टाले जा सकने वाले दृश्य, मुख्यतः मनोरंजन के लिए हिंसा के दृश्य और ऐसे दृश्य, जिनका प्रभाव लोगों को असंवेदनशील या अमानवीय बनाने वाला हो सकता है, न दिखाए जाएं;

(ङ) ऐसे दृश्य, जिनका प्रभाव मद्यपान को उचित ठहराने या उसका महिमामंडन करने वाला हो, न दिखाए जाएं;

(च) मादक पदार्थों की लत को प्रोत्साहित करने, उचित ठहराने या उसका महिमामंडन करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं;

(छ) तंबाकू के सेवन या धूम्रपान को प्रोत्साहित करने, उचित ठहराने या उसका महिमामंडन करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं;

(ज) स्वापक औषधियों या मन:प्रभावी पदार्थों के सेवन, उपयोग या अवैध व्यापार को दर्शाने वाले या उससे संबंधित दृश्यों के साथ निम्नलिखित सांविधिक चेतावनी या अस्वीकरण प्रदर्शित किया जाए:

"अवैध स्वापक पदार्थ स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं और कारावास की गारंटी देते हैं। नशीले पदार्थों को ना कहें।"

(झ) अश्लीलता, अभद्रता या अनैतिकता से मानव संवेदनाओं को ठेस न पहुंचे;

(ञ) ऐसे द्विअर्थी शब्द, जो स्पष्ट रूप से निम्नतर प्रवृत्तियों को संतुष्ट करते हों, अनुमत न किए जाएं;

(ट) किसी भी प्रकार से महिलाओं को अपमानित या नीचा दिखाने वाले दृश्य प्रस्तुत न किए जाएं;

(ठ) महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक हिंसा, जैसे बलात्कार का प्रयास, बलात्कार या किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, अथवा इसी प्रकार की प्रकृति वाले दृश्यों से बचा जाए और यदि ऐसी कोई घटना विषय-वस्तु के लिए प्रासंगिक हो, तो उसे न्यूनतम तक सीमित रखा जाए और उसका कोई विवरण न दिखाया जाए;

(म) लैंगिक विकृतियों को दर्शाने वाले दृश्यों से बचा जाए और यदि ऐसे दृश्य विषय-वस्तु के लिए प्रासंगिक हों, तो उन्हें न्यूनतम तक सीमित रखा जाए और उनका कोई विवरण न दिखाया जाए;

(न) नस्लीय, धार्मिक या अन्य समूहों के प्रति अवमाननापूर्ण दृश्य या शब्द प्रस्तुत न किए जाएं;

(प) सांप्रदायिक, अंधविश्वासपूर्ण, अवैज्ञानिक और राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाले दृश्य या शब्द प्रस्तुत न किए जाएं;

(फ) भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रश्न न उठाया जाए;

(ब) देश की सुरक्षा को संकट में न डाला जाए या खतरा न पहुंचाया जाए;

(भ) विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

(म) लोक व्यवस्था को खतरा न हो;

(य) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय की मानहानि या न्यायालय की अवमानना से संबंधित दृश्य या शब्द प्रस्तुत न किए जाएं।

स्पष्टीकरण— ऐसे दृश्य, जो न्यायालय के नियमों के प्रति उपहास, अपमान या अनादर उत्पन्न करते हों या न्यायालय की गरिमा को कम करते हों, "न्यायालय की अवमानना" पद के अंतर्गत आएंगे; और

(र) राष्ट्रीय प्रतीकों और प्रतीक-चिह्नों को, प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) के उपबंधों के अनुसार प्रदर्शित किया जाए।

3. फिल्म प्रमाणन बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि फिल्म—

(क) उसके समग्र प्रभाव की दृष्टि से संपूर्ण रूप में आंकी जाए; और

(ख) फिल्म में दर्शाई गई अवधि तथा उस देश और वहां के लोगों के समकालीन मानकों के आलोक में जांची जाए, परंतु यह सुनिश्चित किया जाए कि फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करे।

4. ऐसी फिल्में, जो उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करती हैं, किंतु गैर-वयस्कों के प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त मानी जाती हैं, केवल वयस्क दर्शकों के प्रदर्शन के लिए प्रमाणित की जाएंगी।

5. (क) फिल्मों को अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करते समय, बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म पारिवारिक रूप से देखने के लिए उपयुक्त हो, अर्थात् फिल्म ऐसी हो कि बच्चों सहित परिवार के सभी सदस्य उसे एक साथ देख सकें।

(ख) यदि बोर्ड, फिल्म की प्रकृति, विषय-वस्तु और विषय को ध्यान में रखते हुए, यह राय रखता है कि सात, तेरह या सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को ऐसी फिल्म देखने की अनुमति दी जाए या नहीं, इस संबंध में उसके माता-पिता या संरक्षक को सावधान करना आवश्यक है, तो फिल्म को विषय-वस्तु की प्रकृति और प्रकार के अनुसार निम्नलिखित यूए चिह्नों के साथ, उस आशय का पृष्ठांकन करते हुए, अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जाएगा, अर्थात्—

(i) सात वर्ष और उससे अधिक आयु के बालक के लिए उपयुक्त तथा सात वर्ष से कम आयु के बालक के लिए माता-पिता के मार्गदर्शन में उपयुक्त विषय-वस्तु को "यू/ए 7+" रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा;

(ii) तेरह वर्ष और उससे अधिक आयु के बालक के लिए उपयुक्त तथा तेरह वर्ष से कम आयु के बालक के लिए माता-पिता के मार्गदर्शन में उपयुक्त विषय-वस्तु को "यू/ए 13+" रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा; और

(iii) सोलह वर्ष और उससे अधिक आयु के बालक के लिए उपयुक्त तथा सोलह वर्ष से कम आयु के बालक के लिए माता-पिता के मार्गदर्शन में उपयुक्त विषय-वस्तु को "यू/ए 16+" रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा;

(ग) यदि बोर्ड, फिल्म की प्रकृति, विषय-वस्तु और विषय को ध्यान में रखते हुए, यह राय रखता है कि फिल्म का प्रदर्शन किसी व्यवसाय या किसी वर्ग के व्यक्तियों के सदस्यों तक सीमित किया जाना चाहिए, तो फिल्म को ऐसे विशिष्ट दर्शकों के लिए, जिन्हें इस संबंध में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जाएगा।

6. बोर्ड फिल्मों के शीर्षकों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे उत्तेजक, अश्लील, आपत्तिजनक या उपर्युक्त किसी भी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने वाले न हों।

प्रभात, अपर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

GUIDELINES

New Delhi, the 16th September, 2026

F. No. M-11021/20/2026-DO(FC).— *In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5B of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 836(E), dated the 6th December, 1991, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that in sanctioning films for public exhibition, the Board of Film Certification shall be guided by the following principles namely:-*

1. The objectives of film certification shall be to ensure that-

(a) the medium of film remains responsible and sensitive to the values and standards of society;

(b) artistic expression and creative freedom are not unduly curbed;

(c) certification is responsive to social change;

(d) the medium of film provides clean and healthy entertainments; and

(e) as far as possible, the film is of aesthetic value and cinematically of a good standard.

2. In pursuance of the objectives under paragraph 1, the Board of Film Certification shall ensure that—

(a) anti-social activities such as violence are not glorified or justified;

(b) the modus operandi of criminals, other visuals or words likely to incite the commission of any offence are not depicted;

(c) scenes:

(i) showing involvement of children in violence as victims or as perpetrators or as forced witnesses to violence, or showing children as being subjected to any form of child abuse;

(ii) showing abuse or ridicule of physically and mentally handicapped persons; and

(iii) showing cruelty to or abuse of, animals are not presented needlessly.

(d) pointless or avoidable scenes of violence, cruelty and horror, scenes of violence primarily intended to provide entertainment and such scenes as may have the effect of desensitising or dehumanising people are not shown;

(e) scenes which have the effect of justifying or glorifying drinking are not shown;

(f) scenes tending to encourage, justify or glamorise drug addiction are not shown;

(g) scenes tending to encourage, justify or glamorise consumption of tobacco or smoking are not shown;

(h) scenes depicting or involving the consumption, use, or trafficking of narcotic drugs or psychotropic substances are accompanied by the following statutory warning or disclaimer:

"Illicit Narcotics Destroy Health and Guarantees Imprisonment.

Say No to Drugs."

(i) human sensibilities are not offended by vulgarity, obscenity or depravity;

(j) such dual meaning words obviously cater to baser instincts are not allowed;

(k) scenes degrading or denigrating women in any manner are not presented;

(l) scenes involving sexual violence against women like attempt to rape, rape or any form of molestation, or scenes of a similar nature are avoided, and if any such incident is germane to the theme, they shall be reduced to the minimum and no details are shown;

(m) scenes showing sexual perversions shall be avoided and if such matters are germane to the theme, they shall be reduced to the minimum and no details are shown;

(n) visuals or words contemptuous of racial, religious or other groups are not presented;

(o) visuals or words which promote communal, obscurantist, anti-scientific and anti-national attitudes are not presented;

(p) the sovereignty and integrity of India is not called in question;

(q) the security of the State is not jeopardised or endangered;

(r) friendly relations with foreign States are not strained;

(s) public order is not endangered;

(t) visuals or words involving defamation of an individual or a body of individuals, or contempt of Court are not presented.

Explanation. —Scenes that tend to create scorn, disgrace or disregard of rules or undermine the dignity of Court shall come under the term "contempt of court"; and

(u) National symbols and emblems are not shown except in accordance with the provisions of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 (12 of 1950).

3. The Board of Film Certification shall also ensure that the film:

(a) is judged in its entirety from the point of view of its overall impacts; and

(b) is examined in the light of the period depicted in the film and the contemporary standards of the country and the people to which the film relates, provided that the film does not deprave the morality of the audience.

4. Films that meet the abovementioned criteria but are considered unsuitable for exhibition to non-adults shall be certified for exhibition to adult audiences only.

5. (a) While certifying films for unrestricted public exhibition, the Board shall ensure that the film is suitable for family viewing, that is to say, the film should be such that all the members of the family including children can view it together.

(b) If the Board, having regard to the nature, content and theme of the film, is of the opinion that it is necessary to caution the parents or guardian of a child to consider as to whether any child below the age of seven, thirteen or sixteen years, may be allowed to see such a film, the film shall be certified for unrestricted public exhibition with an endorsement to that effect in accordance with the nature and type of the content with the following UA markers, namely:—

(i) content suitable for a child aged seven years and above and under the age of seven years with parental guidance shall be classified as "U/A 7+" rating;

(ii) content suitable for a child aged thirteen years and above and under the age of thirteen years with parental guidance shall be classified as "U/A 13+" rating; and

(iii) content suitable for a child aged sixteen years and above and under the age of sixteen years with parental guidance shall be classified as "U/A 16+" rating;

(c) If the Board, having regard to the nature, content and theme of the film, is of the opinion that the exhibition of the film should be restricted to members of any profession or any class of persons, the film shall be certified for public exhibition restricted to the specialised audiences to be specified by the Board in this behalf.

6. The Board shall scrutinise the titles of the films carefully and ensure that they are not provocative, vulgar, offensive or violative of any of the above-mentioned guidelines.

PRABHAT, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA